अ०शा०प०सं० 2332/ब्यूरो/75-31(75)/74

भक्तिदेव मुकर्जी,
उप सचिव

उत्तर प्रदेश सरकार
सार्वजनिक उद्यम अनुभाग,
लखनऊः दिनांकः 12 सितम्बर, 1975

प्रिय महोदय,

सार्वजनिक उद्योगों, सरकारी कम्पनियों, सांविधिक निगमों तथा अन्य संस्थाओं द्वारा वित्तीय भार की वृद्धि को नियंत्रित करने के उद्देश्य से उनके आर्टिकिल्स आफ् एसोसिएशन में निर्दिष्ट आर्टिकल्स को सम्मिलित करने विषयक न्याय (कन्वेयसिंग) अनुभाग के शासनादेश संख्या 415/सात–जी०सी०–75, दिनांक 29 जुलाई, 1975 (प्रतिलिपि सुगम सन्दर्भ हेतु संलग्न है) का अवलोकन करें।

2- इस सम्बन्ध में मुझसे आपसे यह निवेदन करने की अपेक्षा की गई है कि सम्बन्धित सार्वजनिक उद्योग के आर्टिकिल्स आफ एसोसिएशन में उक्त आर्टिकल्स सम्मिलित करने के उपरान्त आप कृपया इसकी सूचना सार्वजनिक उद्योग ब्यूरो अनुभाग को भी देने का कष्ट करें।

3- जिन सार्वजनिक उद्योगों को न्याय विभाग का उक्त पत्र न भेजा गया हो, वे भी तद्नुसार कार्यवाही करके, कृत कार्यवाही से इस अनुभाग को तुरन्त अवगत करा देने की कृपा करें।

सादर।

संलग्नकः न्याय विभाग का उक्त पत्र

भवदीय,
ह० भक्तिदेव मुकर्जी

प्रदेश के समस्त सार्वजनिक उद्योगों
के प्रबन्ध निदेशकगण (नाम से)
संख्या 2332 (1)/ब्यूरो/75-31(75)/74–तद्दिनांक

उक्त पत्र की प्रतिलिपि शीर्षस्थ सहकारी संस्थाओं को, न्याय (कन्वेयसिंग) अनुभाग के शासनादेश संख्या 415/सात–जी०सी०/75, दिनांक 29 जुलाई, 1975 के संदर्भ में, इस निवेदन के साथ प्रेषित कि वे कृपया अपने उपविधियों में तद्नुसार संशोधन करके, कृत कार्यवाही से इस अनुभाग को तुरन्त अवगत कराने का कष्ट करें।

आज्ञा से,
ह० भक्तिदेव मुकर्जी
उप सचिव।